

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक : एफ.6(48)प्र.सु./अनु.-3/ 2015

जयपुर, दिनांक : 20.11.2017

आदेश

राज्य के पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरिय विकास एवं आवासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | सदस्य |
| 3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र भारद्वाज, मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री | सदस्य |
| 5. श्री एलपी पंत, दैनिक भास्कर | सदस्य |
| 6. श्री अमित वाजपेयी, राजस्थान पत्रिका | सदस्य |
| 7. श्री कुणाल मजूमदार, टाईम्स ऑफ इंडिया | सदस्य |
| 8. श्री श्रीपाल शक्तावत, ईटीवी राजस्थान | सदस्य |
| 9. श्री महेश शर्मा, जी राजस्थान | सदस्य |
| 10. श्री भवानी सिंह देवडा, आईबीएन-7 | सदस्य |
| 11. श्रीमती हर्षा सिंह, एनडी टीवी | सदस्य |
| 12. श्री महेश शर्मा, दैनिक नवज्योति | सदस्य |
| 13. श्री शरत कुमार, आज तक | सदस्य |
| 14. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, समाचार जगत | सदस्य |
| 15. श्री पुरुषोत्तम दिवाकर, प्रेस फोटोग्राफर, इंडिया टूडे | सदस्य |
| 16. श्री राधारमण शर्मा, प्रतिनिधि पिकसिंटी प्रेस क्लब | सदस्य |
| 17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | सदस्य सचिव |

यह समिति राज्य भर के पत्रकारों को आवासीय सुविधा के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी तथा उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

यह समिति योजना के क्रियान्वयन के लिए पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित करने के नॉर्स तय करेगी तथा पत्रकारों के आवास समस्या के संबंध में सभी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए उपाय सुझायेगी।

समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग होगा।

आज्ञा से,
(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव
20/11/17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, मा.मुख्यमंत्री(मंत्री,सूजस) महो.। *निजी सचिव, मीडिया सलाहकार मा.मु.मं. महो.*
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। संदर्भ सं. 5(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको.2002-II
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-5) विभाग।
9. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
10. आवासीय समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
11. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी
20/11/17

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी